न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 125/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर जरियें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विजयराज पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी खारोड़िया बेरा बालोतरा		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 05.1.2023

01. संक्षेप में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर नगरपालिका बालोतरा के आबादी क्षेत्र के वार्ड संख्या 08 जैन छात्रावास के पास अवस्थित रहा है,जिसका उपयोग माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर के लिया किया जाता है, जिसमें सर्वसमाज की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है,सर्व समाज द्वारा नियमित रूप से भैरूजी की पुजा [illegible] है। वक्त सेटलमेंट अधिकारी द्वारा बिना जांच पड़ताल [illegible] भैरूजी का मंदिर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी में अंकन किया गया,जबकि प्रार्थी भैरूजी का मंदिर गैर मुमकिन नदी में न होकर आबादी भूमि में अवस्थित है। उक्त मंदिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
विवेक व्यास
5.1.2023

लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है,और न उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747 ,870 ,950, 1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए प्रार्थी माली परिहार समाज़ भैरूजी का मंदिर को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। जबकि प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर आबादी खसरे में अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर राजस्व रेकर्ड में हो रखें गलत इन्द्राज को निरस्त करवाते हुए भैरूजी का मंदिर आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

03. विवादित भूमि की मौका एवं रेकर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

04. प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में डी.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 544/2020 के आदेश की फोटोप्रति,प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डी.बी सिविल मिस. एप्लीकेशन की छायाप्रति,छायाप्रति पंजीकृत पटटा संख्या 4315 व बिजली कनेक्शन बिल फोटोप्रति पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:48 IST
Reason: SelfAttested

05. उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि सरहद ग्राम बालोतरा में स्थित लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 कुल रकबा 1753.14 बीघा पर तथाकथित

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन संख्या 544/2020 प्रस्तुत की गई,जिस पर प्रार्थी द्वारा D.B Civil INTERLOCUTORY APPLICATION प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय की आदेश की पालना में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया,कि प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर नगरपालिका बालोतरा के आबादी क्षेत्र के वार्ड संख्या 08 जैन छात्रावास के पास अवस्थित रहा है,जिसका उपयोग माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर के लिया किया जाता है,जिसमें सर्वसमाज की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है,सर्व समाज द्वारा नियमित रूप से भैरूजी की पुजा पाठ ध्यान कथा इत्यादि की जाती है। नगरपालिका बालोतरा द्वारा भैरूजी का मंदिर को आबादी भूमि में अवस्थित होने के आधार पर ही पटटा जारी किया हुआ है। लेकिन वक्त सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा बिना जांच पड़ताल किये ही प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी में अंकन किया गया,जबकि प्रार्थी भैरूजी का मंदिर गैर मुमकिन नदी में न होकर आबादी भूमि में अवस्थित है। उक्त मंदिर लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है,और न उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747 ,870 ,950, 1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। लेकिन राजस्व अधिकारियो ने प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। जबकि प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर आबादी खसरे में अवस्थित है। राजस्व अधिकारीयों द्वारा समय-समय पर किये गये सर्वे में गलत तथ्यों के आधार पर माली परिहार सजाम भैरूजी का मंदिर को गै.मु.नदी में रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया,जो कि अंदिनाक तक रेकर्ड व नक्शा में विवादित भू... अंकन इन्द्राज होता आ रहा है,जो कि मौका स्थिति अनुसार ... व राजस्व नक्शा दुरूस्ती योग्य है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए ... ओर कथन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कि प्रार्थी माली समाज भैरूजी का मंदिर आबादी भूमि में अवस्थित होने के उपरान्त भी गैर–मुमकिन नदी में दर्शा दिया गया। राजस्व अधिकारीयों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से विवादित भूमि के हितबद्ध पक्षकारान को बिना सुनवाई के अवसर दिये आबादी भूमि में होने के उपरान्त भी मंदिर को गैर मुमकिन नदी में इन्द्राज कर दी थी,जो कि सरासर गलत तथ्यो के आधार पर रेकर्ड इन्द्राज हुआ था। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर को आबादी भूमि का भाग मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती करवाने का आदेश फरमाया जावें।

6.इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, प्रथम सेटलमेन्ट में जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया,तो नदी के बहाव क्षेत्र एंव पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया,जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवातें हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार माली समाज परिहार भैरूजी का मंदिर परिसर गैर मुमकिन नदी में निर्मित किया हुआ है,जो कि गैर कानूनी है। विवादित मंदिर आबादी भूमि में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी मंदिर की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि [illegible] में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है,जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन–पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है,जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि जिस भू–भाग पर भैरूजी का मंदिर बना हुआ बता रहे है,गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 870 गैर मुमकिन नदी है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शो का सुपर इम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लिया जाता है,तो गैर मुमकिन नदी में मंदिर नहीं आता है। लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रचलित भू प्रबंध के दौरान विवादित भूमि के कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता–पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन–पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही गई है,कि प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर आबादी भूमि में स्थित है,मौके की स्थिति अनुसार मंदिर के परिसर के आस–पास बने हुए निर्मित परिसर भी आबादी भूमि में है। लेकिन प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर आबादी भूमि में होने के उपरांत भी सेटलमेन्ट विभाग के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से [illegible] प्रार्थी मंदिर परिसर को आबादी भूमि में होने के उपरांत [illegible] रेकर्ड में तरमीम अंकन कर दी गई। जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर को आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:48 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शें में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जिसमें पाया कि तहसीलदार पचपदरा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 में स्पष्ट अंकित किया है,कि प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर वर्तमान भू प्रबंध के खसरा संख्या 870 में काबिज है,जो गैर मुमकिन नदी है। इस प्रकार प्रार्थी जिस भू–भाग पर मंदिर परिसर होना बता रहें है,वह गत सेटलमेन्ट अनुसार भी गैर मुमकिन नदी में आता है,इससे स्पष्ट है कि मंदिर गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है,जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेन्ट भी सन् 1967 में हुआ था। तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड संधारण किया था,जो कि विवादित भूखण्ड आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है,कि प्रार्थी माली परिहार समाज भैरूजी का मंदिर की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होते है,क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय सेटलमेन्ट भी हो चुका हैं। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई,इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर आबादी भूमि में हो। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये है,कि मंदिर भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर आबादी भूमि में आती है,यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है,इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। जहां तक प्रार्थी वकील द्वारा तर्क दिए कि प्रार्थी के नगर परिषद बालोतरा द्वारा पटटा जारी करने का प्रश्न है,इस संबंध में अदालत को अपनी राय रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अदालत को यह तय करना है,कि विवादित भूमि की तरमीम रेकर्ड के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:48 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दुरूस्ती योग्य है अथवा नहीं,न की पटटे की वैधता का निर्धारण करना है। ऐसी सूरत में प्रार्थी की ओर से आवेदन में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं है,कि प्रार्थी रेकर्ड दुरूस्ती करवानें के योग्य है। अदालत के ध्यान में यह भी आया है,कि प्रथम भू प्रबंध के समय एवं उसके पश्चात प्रार्थी का किसी प्रकार का टाईटल नहीं है,जिससे कि वह भू प्रबंध की प्रक्रिया को चुनौती दे सकें। हमारे द्वारा प्रथम भू प्रबंध एंव द्वितिय भू प्रबंध के खसरा संख्या का अवलोकन किया गया,प्रश्नगत प्रकरण सूओ–मोटो (suo moto)अब्दुल रहमान बनाम सरकार से पूर्णतया चस्पा होता है। जिसके अनुसार जल–प्रवाह क्षेत्र में किसी प्रकार का भौतिक एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है,न ही किसी प्रंकार का आंवटन,नियमन इत्यादि किया जा सकता है,प्रार्थी अपना टाईटल अन्य प्रकार से सिद्व नहीं कर सके है। द्वितिय भू प्रबंध सेन्टलमेंट सन 1967 में हुआ है,जो आदिनांक तक प्रभावी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 से लागू है,जिसके अनुसार धारा 16 नदी प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। अतःसक्षेप में काश्तकारी अधिनियम वर्ष 1967 से किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारी नहीं दिए जा सकते थे,अतः अवलोकन से सिद्व है कि सुपर इम्पोजिशन में भी उक्त खसरा नदी का भू भाग/जल प्रवाह क्षेत्र में है। इस प्रकार प्रार्थी टाईटल व मौका अनुसार किसी प्रकार का सामर्थ नहीं रखतें है। अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि आवेदन–पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:48 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.01.2023को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा